

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत

(राजस्व)

मुकाम

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम लाली पुत्री सावणा हल्का 281/P
 किस्म मुकदमा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. 115 सन् 2020 अधिनियम 1954

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुकम की तामिल में जारी किये
11-09-2020	<p style="text-align: center;">रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि</p> <p>अप्रार्थी श्री लाली पुत्री/श्री सावणा जाति दावरी साकिन 6051 ने चक 27/PPB के मु.नं. 48 कि.नं. 12, 13, 14 में कुल 0.672 हैक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर सम्बन्ध 2077 (खरीद) में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील में लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 24-09-2020 को पेश हो</p>	
24-09-2020	<p>पत्रावली पेशी के ली गई। अप्रार्थी उपस्थित होकर नाजायज काश्त की बर्तवारी ड्रॉप करवाने हेतु साधना पत्र पेश किया। प्रकरण में किसी न्यायालय का स्थगन का होने के कारण अतिक्रम घोषित किया जाता है। निर्णय अलग ले लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय अदालत PLR/ पटवारी हल्का के लिखा जावे।</p>	



R.H.

